प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य थाना साइबर क्राइम जनपद एटा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा श्री योगेन्द्र सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमित कुमार राय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के परिदृश्य चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम एटा द्वारा आनलाइन ठगी का शिकार हुए शिकायतकर्ता जुगलेश कुमार पुत्र महाराज सिंह निवासी गणेशपुर थाना कोतवाली देहात ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि प्रार्थी के खाता से बिना जानकारी के 50000 रुपये निकल जाने के आरोप अंकित किये गये।

क्षेत्राधिकारी सदर एटा द्वारा थाना साइबर क्राइम की टीम को प्रकरण की जांच कर शिकायतकर्ता की समुचित मदद करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना साइबर क्राइम एटा द्वारा मामले की गंभीरता से जांचकर व लाभप्रद कार्यवाही करते हुए सर्वप्रथम लाभार्थी इण्डिया पोस्ट पेमेन्टस बैंक खाता को डेबिट फ्रीज कराते हुऐ पीडित की धनराशि को सुरक्षित संरक्षित किया गया तथा बैंक को ई-मेल व जरिये मोबाइल सम्पर्क करते हुये, बैंक द्वारा समस्त औपचारिकता पूर्ण करते हुऐ शिकायतकर्ता की 50000 रुपये की पूर्ण धनराशि को पीडित के एसबीआई खाता में वापस कराया गया है। अपने पैसे वापस पाकर शिकायतकर्ती द्वारा एटा पुलिस को धन्यवाद देते हुए भूरि भूरि प्रशंसा की गई है।

साइबर क्राइम सैल टीम जनपद एटा

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार चौधरी
2. उ0नि0 श्री दीक्षित कुमार
3. मुख्य आरक्षी रामवीर सिंह
4. आरक्षी राजाराम चौधरी
5. आरक्षी अजयपाल सिंह

थाना साइबर क्राइम एटा द्वारा साइबर ठगी से बचने हेतु आमजन को संदेश

01- किसी भी कम्पनी का कस्टमर केयर नम्बर उस कम्पनी के आधिकारिक वेवसाइट से ही प्राप्त करें क्योकि आजकल साइबर ठगों द्वारा अपने नम्बरों को विभिन्न आनलाइन कम्पनियों के कस्टमर केयर के नाम से गूगल पर अपडेट किया गया है।

02- कोई भी बैंक अधिकारी फोन पर कभी भी आपसे एटीएम खाते क्रेडिट कार्ड अन्य से सम्बन्धित जानकारी नहीं मांगता इसलिए कभी भी फोन काल पर अपने बैंक से सम्बन्धित जानकारी शेयर ना करें।